पत्र संख्या-6/2024/523616/2024/फाइल नं0-86-01099/51/2023

प्रेषक

विजय कुमार

विशेष सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी

उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक: 19.03.2024

विषयः-ड्रेजिंग के फलस्वरूप एकत्र हुए ड्रेज्ड मैटीरियल के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-758/86-2020-7(सा0)/2019 दिनांक 19.05.2020 द्वारा ड्रेजिंग के फलस्वरूप कार्य स्थल से निकाले गये ड्रेज्ड मैटीरियल के निस्तारण हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे। ओ०ए० संख्या 107/2022 अवधेश दीक्षित बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा० एन०जी०टी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.03.2023 के दृष्टिगत सिंचाई एवं जल संसाधान अनुभाग-2 उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-I/317144/2023/फाइल-27-2099/11/2023 दिनांक 16.05.2023 द्वारा ड्रेज्ड मैटीरियल के निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत हैं।

2. अतएव सिंचाई एवं जल संसाधान अनुभाग-2 उ०प्र० शासन के उक्त निर्गत आदेश दिनांक 16.05.2023 के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ड्रेजिंग के फलस्वरूप एकत्र हुए ड्रेज्ड मैटीरियल के निस्तारण के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देश सम्बन्धी भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग उ०प्र० शासन के उक्त आदेश संख्या-758/86-2020-7(सा0)/2019 दिनांक 19.05.2020 को अवक्रमित किया जाता है।

3. उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि ड्रेजिंग के दौरान निकले बहुमूल्य खनिज सम्पदा का निस्तारण अब जनपद स्तर पर निम्नानुसार गठित समिति द्वारा किया जायेगा:-

| | |
|---|---|
| (1) जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| (2) प्रभागीय वनाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी | सदस्य |
| (3) सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता | सदस्य |
| (4) ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक | सदस्य सचिव |

साथ ही नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सेडिमेन्ट मैजमेन्ट के बिन्दु संख्या 2.2.3 के आलोक में डीसिल्टिंग के दौरान सिल्ट/Sediment deposit में बालू/मौरम पाये जाने पर तथा उसका उपयोग/निस्तारण व्यवसायिक रूप में होने पर बालू/मौरम की रायल्टी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के निर्धारित लेखाशीर्षक "0853-अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग " में जमा किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

विजय कुमार

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन।

(2) प्रमुख सचिव, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(3) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ।

(4) समस्त ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक (द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ)

(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विजय कुमार

विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in